न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी— रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
20 / 2022 / प्रा.पत्र / 2022	06.04.2022	20.12.2024

डॉ. मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1—श्री बुद्धिप्रकाश जैन पुत्र श्री रायचन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स रायचन्द बिच्छूमल जैन बस स्टैण्ड के पास पीपलू जिला टोंक राज. निवासी बस स्टैण्ड के पास पीपलू जिला टोंक। पिनकोड—304801

2—श्री रामबाबू परतानी पुत्र श्री श्याम सुन्दर प्रोपरायटर मैसर्स परताणी इण्डस्ट्रीज जी—1—33—34, इण्डस्ट्रीयल एरिया मालपुरा जिला टोंक राज.। निवासी 143, कृषि मण्डी के पीछे बृजलाल नगर मालपुरा जिला टोंक। पिनकोड—304502

...........अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।

2—अप्रार्थी सं. 1 श्री बुद्धिप्रकाश जैन स्वयं उप.।

:—निर्णय—: दिनांक 20/12/24

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 11.01.2022 को समय बाद दोपहर 03:31 पी.एम. पर मैसर्स रायचन्द बिच्छूमल जैन बस स्टैण्ड के पास पीपलू जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री बुद्धिप्रकाश जैन पुत्र श्री रायचन्द जैन मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री बुद्धिप्रकाश जैन पुत्र श्री रायचन्द जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान मैसर्स रायचन्द बिच्छूमल जैन बस स्टैण्ड के पास पीपलू जिला टोंक का मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में गुड, तेल, घी, मसाले, नमकीन आदि अन्य खाद्य पदार्थ के साथ **रिफाइंड सोयाबीन तेल सोया गोल्ड ब्राण्ड (Refined Soyabean Oil Soya Gold Brand)** दुकान में कागज के कार्टून में 910—910 ग्राम के 19 नग बोतल पैक वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखे हुए थे जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री बुद्धिप्रकाश जैन पुत्र श्री रायचन्द जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

बुद्धिप्रकाश जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **रिफाइंड सोयाबीन तेल सोया गोल्ड ब्राण्ड (Refined Soyabean Oil Soya Gold Brand)** जिसके बैच नम्बर 13 एवं पैकिंग की दिनांक जुलाई 2021 थी, वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, ज्यों का त्यों पैक्ड अवस्था में 910–910 ग्राम के 4 नग बोतल कुल 3640 ग्राम **रिफाइंड सोयाबीन तेल सोया गोल्ड ब्राण्ड (Refined Soyabean Oil Soya Gold Brand)** वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रिफाइंड सोयाबीन तेल सोया गोल्ड ब्राण्ड (Refined Soyabean Oil Soya Gold Brand)** 910–910 ग्राम के 4 नग बोतल पैक ज्यों का त्यों साफ प्रिन्टेड को लेकर एक–एक नग के नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–3016 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3016 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर नमूना क्रय करते समय विक्रेता श्री बुद्धिप्रकाश जैन पुत्र श्री रायचन्द जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स परताणी इण्डस्ट्रीज जी–1–33–34, इण्डस्ट्रीयल एरिया मालपुरा जिला टोंक का वारन्टी बिल नं./इन्वॉइस नं. 2800 दिनांक 20.10.2021 प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2022/395 दिनांक 15.02.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोट सं. एलएस/232/एक्ट/2022/242 दिनांक 31.01.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल सोया गोल्ड ब्राण्ड (Refined Soyabean Oil Soya Gold Brand)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(i)(zf)(C)(i) का उल्लंघन करने के कारण अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 2 बावजूद सूचना अनुपिस्थत रहे। अतः अप्रार्थी सं. 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं. 1 श्री बुद्धिप्रकाश जैन स्वयं उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। मात्र इसके लेबल पर कुछ आवश्यक जानकारी मानक प्रारूप में अंकित नहीं होने से उक्त नमूना मिथ्याछाप स्तर का होना पाया गया है। उक्त खाद्य पदार्थ निर्माता फर्म से लेकर उसी अवस्था में विक्रय किया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **रिफाइंड सोयाबीन तेल सोया गोल्ड ब्राण्ड (Refined Soyabean Oil Soya Gold Brand)** का विक्रय कर रहे थे, उसके लेबल पर Nutritional Information की मात्रा अंकित नहीं है। उक्त नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **रिफाइंड सोयाबीन तेल सोया गोल्ड ब्राण्ड (Refined Soyabean Oil Soya Gold Brand)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं0 1 ने उक्त खाद्य पदार्थ वारन्टी बिल के आधार पर अप्रार्थी सं0 2 से क्रय किया है। अतः अप्रार्थी सं0 1 को दोषमुक्त किया जाता है तथा अप्रार्थी सं0 2 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं0 2 पर कुल शास्ति रूपये 25,000/– (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अप्रार्थी सं0 2 को निर्णय की सूचना हेतु पत्र लिखा जावें। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/12/24 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट